

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक— शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6004/चयन/2018-19 दिनांक- 14.02.2019 (रिव्यू डीपीसी) के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा रिव्यू डीपीसी में संलग्न सूची में कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) इतिहास की रिक्तियों के प्रति चयन, उनके सम्मुख अंकित चयन वर्ष हेतु किए जाने के फलस्वरूप इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) इतिहास के पद पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के पे-मेट्रिक्स वेतन लेवल नम्बर-12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्मतिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिक का पूर्व चयन वर्ष परिवर्तन डीपीसी वर्ष 2017-18 से रिव्यू डीपीसी 2018-19 होने के कारण चयन वर्ष परिवर्तन का इन्द्राज सम्बन्धित कार्मिक की सेवापुस्तिका एवं सम्बन्धित अभिलेखों में इन्द्राज करते हुए तत्सम्बन्धित कार्यवाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित की जावे। सम्बन्धित संस्था प्रधान कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 10.03.19

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास/रिव्यू डीपीसी/2018-19/19  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पर कार्मिक विवरण अद्यतन आवश्यक रूप से किया जावे।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान/कार्मिक
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/सी-ओएसी



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास/रिच्यू डीपीसी/पदस्थापन/2018-19/

दिनांक-

10/03/19

क्र सं	स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक पदस्थापन स्थान राउप्रावि/ राबाउप्रावि/ राउमावि/ राबाउमावि	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ष	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन राउमावि/ राबाउमावि	स्थान	जिला
1	5993	2011-12	मनोज कुमार व्या-इतिहास शहीद मेजर रणवीर सिंह एवं बाबा श्रीकेसरनाथ उमावि तैन (TAIN)- अलसीसर- झुझुनूं	01/07/1986		18-19	JODHPUR	यथावत		JODHPUR

(WTS)

(नथमल डिडेल)

आई ए एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर